संख्या: 117/2018/2067/छप्पन-2018-68/2017 टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर, 2018

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत संचालित वायु सेवा के लिए वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-377/ना0उ0नि0/2018 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि0 द्वारा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट पर दिनांक 14 से 30 जून, 2018 तथा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहाबाद-नागपुर रूट पर दिनांक 14 से 30 जून, 2018 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम के रूप में रू0 65,00,088/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रू0 13,00,018/- (रूपए तेरह लाख अट्ठारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर-4.2.2(e) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग (वी0जी0एफ0) के 20 प्रतिशत अंश का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत मेसर्स जेट एयरवेज (इण्डिया) लि0 द्वारा लखनऊ-इलाहाबाद-पटना-इलाहाबाद-लखनऊ रूट पर दिनांक 14 से 30 जून, 2018 तथा नागपुर-इलाहाबाद-इन्दौर-इलाहाबाद-नागपुर रूट पर दिनांक 14 से 30 जून, 2018 की अवधि के लिए वायु सेवा के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप वी0जी0एफ0 क्लेम के रूप में रू0 65,00,088/- के सापेक्ष 20 प्रतिशत वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रू0 13,00,018/- (रूपए तेरह लाख अट्ठारह मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है। उक्त धनराशि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम हेतु कार्यान्वयन संस्था भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गठित रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट के माध्यम से सम्बन्धित एयरलाइन कम्पनी को भुगतान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप 20 प्रतिशत वी0जी0एफ0 (राज्यांश) के भुगतान हेतु रू0 13,00,018/- (रूपए तेरह लाख अट्ठारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 13,00,018/- (रूपए तेरह लाख अट्ठारह मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा-लेखाशीर्षक "3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-02-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायबिलिटी गैप फण्डिंग की मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(1) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-117/2018/2067(1)/छप्पन-2018 टी0सी0, तददिनांक</u>

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- महाप्रबन्धक (एफ0 एण्ड ए0)-आर0सी0एस0, रीजनल एयर कनेक्टिविटी फण्ड ट्रस्ट, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in